



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 1345/2019

1 - माधव यादव पिता रूपलाल यादव 25 वर्ष निवासी गाँव-कोटमार, पुलिस थाना-चक्रधरनगर, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

2 - अजय यादव @कोडा पिता वेदराम यादव, 24 वर्ष, निवासी गाँव-कुंजेदाबरी, पुलिस थाना-सिटी कोटवाली, रायगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

---अपीलकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस थाना-चक्रधरनगर, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :----श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अधिवक्ता

उत्तरवादी /राज्य हेतु :----श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त महाधिवक्ता

परिवादी हेतु :----श्री अभिषेक सराफ, अधिवक्ता

युगल पीठ:

माननीय श्रीमती. न्यायमूर्ति रजनी दुबे, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

01.07.2025



अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश के अनुसार,

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत यह दायित्व अपील, V वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़, सी.जी. द्वारा सत्र विचारण संख्या 93/2018 में पारित दिनांक 05.09.2019 के दोषसिद्धि और दंड के आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार दंड पारित किया गया :-----

मनोहर राथिया की हत्या हेतु दोषी ठहराया गया	दंड
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत (संक्षेप में, 'भा.दं. सं.')	आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक अपीलकर्ता को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास।
भारतीय दंड संहिता की धारा 201 सहपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत	सात वर्ष के कठोर कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक अपीलकर्ता को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।
श्यामलाल राथिया की हत्या हेतु दोषी ठहराया गया	दंड
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत (संक्षेप में, 'भा.दं. सं.')	आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक अपीलकर्ता को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास।
भारतीय दंड संहिता की धारा 201 सहपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत	सात वर्ष के कठोर कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक अपीलकर्ता को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।

(दोनों दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था)

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि दिनांक 23.05.2018 की मध्य रात्रि लगभग 6:30 बजे से 24.05.2018 की सुबह लगभग 8:00 बजे तक, ग्राम कारीछापर, पुलिस स्टेशन चक्रधरनगर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के अधिकार क्षेत्र में, अपीलकर्ताओं ने, अपने सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए, मृतक व्यक्तियों अर्थात् मनोहर राथिया और श्यामलाल राथिया की हत्या कर दी और साक्ष्य को छिपाने के लिए, अपीलकर्ताओं ने मृतक मनोहर राथिया के शव को नहर के एक सीमेंट पाइप के अंदर छिपा दिया, जो घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर था, जबकि मृतक श्यामलाल यादव के शव को भी नदी में फेंक दिया और इस तरह उपरोक्त अपराध किए।



3. अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि दिनांक 24.05.2018 को पीडब्लू-3 भूप सिंह ने थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसी दिन प्रातः लगभग 8:00 बजे, गाँव में दो शव अलग-अलग स्थानों पर पड़े मिलने पर हंगामा मच गया। एक शव सपनाई नहर के पास सीमेंट पाइप के अंदर मिला, जबकि दूसरा सपनाई नदी में पड़ा मिला और कोटमार व कारीछापर जाने वाली सड़क के किनारे खून के धब्बे थे तथा सड़क के नीचे एक नारंगी रंग का गमछा भी बंधा हुआ मिला। तत्पश्चात्, मृतक के शव उपरोक्त स्थानों से बरामद किया गया। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर, देहाती मार्ग सूचनाएँ प्र.प.-13 व 14 तथा मार्ग सूचनाएँ प्र.प.-15 व 16 दर्ज की गईं। इसके बाद, अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्र.पी.-12 देहाती प्रथम सूचना रिपोर्ट और प्र.पी.-17 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। प्र.पी.-2 के तहत जाँच की गई और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसका परीक्षण प्र.सा.-9 डॉ. राजेश गोस्वामी और प्र.सा.-10 डॉ. देवराज चौहान ने किया, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.सा.-32 और 34 को प्रमाणित किया। पीडब्लू-9 डॉ. राजेश गोस्वामी के अनुसार, मृतक मनोहर राठिया की मृत्यु का कारण कपाल-मस्तिष्क की चोटों और गले में कटने के कारण आघात और रक्तस्राव था और मृतक की मृत्यु का तरीका हत्या जैसा था, जबकि पीडब्लू-10 डॉ. देवराज बेहरा के अनुसार, मृतक श्यामलाल यादव की मृत्यु का कारण फेफड़े जैसे महत्वपूर्ण अंग में चोट लगने के कारण भारी रक्तस्राव था और यह मध्यम रूप से भारी, नुकीली और कठोर वस्तु से हुआ था और मृतक की मृत्यु का तरीका हत्या जैसा था। अन्वेषण के दौरान, अपीलकर्ताओं को प्र.पी-51 और 52 के तहत गिरफ्तार किया गया। अपीलकर्ताओं के ज्ञापन बयान प्र.पी-19 और 20 के तहत दर्ज किए गए, जिसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता माधव यादव और अजय यादव की खून से सनी टी-शर्ट प्र.पी-21 और पी-22 के तहत बरामद की गईं। प्र.पी-23 और पी-24 के तहत, अपीलकर्ता संख्या 1 माधव यादव के कब्जे से खून से सनी कुल्हाड़ी और साइकिल बरामद की गईं। प्र.पी-25 के तहत, मृतक के कपड़े और उसके शरीर के अंगों को सील करके एक बक्से में पैक किया गया। घटनास्थल से, सादी और खून से सनी मिट्टी भी प्र.पी-5 और 6 के तहत जब्त की गई और प्र.पी-8 के तहत, चप्पल, टॉर्च और साइकिल मौके से जब्त की गईं। जब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल को भेजा गया और एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, वस्तुओं अर्थात् “ए, सी, जी, एन 2, ओ, क्यू और आर” पर मानव रक्त पाया गया है।

4. उचित अन्वेषण के पश्चात्, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध क्षेत्राधिकार प्राप्त आपराधिक न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किया गया और मामला विधि अनुसार सुनवाई एवं निराकरण हेतु विचारण न्यायालय को सौंप दिया गया, जहाँ अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने अपने अपराध से इनकार किया और यह कहते हुए अपना बचाव प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपराध नहीं किया है।

5. अभियोजन पक्ष ने अपराध सिद्ध करने के लिए, अपने मामले के समर्थन में 15 साक्षियों से परीक्षा की और 54 दस्तावेज़ (प्री-पी-1 से पी-54) प्रस्तुत किए। हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने अपने बचाव में किसी भी दस्तावेज़ की परीक्षा नहीं की, बल्कि अपने बचाव में तीन दस्तावेज़ (प्री-डी-1 से डी-3) प्रस्तुत किए।



6. विचारण न्यायालय ने, विचारण पूरा होने के पश्चात् और मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के मूल्यांकन के पश्चात्, अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलकर्ताओं को इस निर्णय के प्रारंभिक कंडिका में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जिसके विरुद्ध उन्होंने सीआरपीसी की धारा 374(2) के अंतर्गत वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना और दंड पारित किया गया तथा पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराधों को साबित करने में विफल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं को संबंधित अपराध से जोड़ने के लिए कोई ठोस और निर्णायक साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक व्यक्तियों की हत्या करने के अपीलकर्ताओं के आशय को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है और इसके अलावा, यद्यपि अपीलकर्ताओं के ज्ञापन कथन के अनुसार, उनके कपड़े, कुल्हाड़ी और अन्य सामान जब्त कर लिए गए थे और एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, जब्त सामान पर मानव रक्त पाया गया है, लेकिन रक्त समूह का पता नहीं लगाया जा सका, इसलिए, एफएसएल रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है। इस प्रकार, दोषसिद्धि और दंड के आदेश का विवादित निर्णय अपास्त किया जाना चाहिए और अपीलकर्ताओं को उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

8. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अपराध सिद्ध कर दिया है और मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और इस प्रकार, अपीलकर्ताओं को उपरोक्त अपराधों के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया गया है और दंड पारित किया गया है।

9. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेख का भी अध्ययन किया है।

10. विचारणीय पहला प्रश्न यह होगा कि क्या मृतक की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी, जिसका उत्तर ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू-9 डॉ. राजेश गोस्वामी और पीडब्लू-10 डॉ. देवराज बेहरा द्वारा साबित पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी-32 और 34) पर भरोसा करते हुए सकारात्मक रूप से दिया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तथ्य की खोज है, यह न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है और हम एतद्द्वारा उक्त खोज की पुष्टि करते हैं।

11. अब प्रश्न यह होगा कि क्या अपीलकर्ता उस अपराध के रचयिता हैं जिसके लिए विचारण न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भरोसा किया है, तथा उन अपराध-साध्य साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया है जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा सिद्ध पाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है।



12. अब हम अपराध के उद्देश्य के संबंध में अपीलकर्ताओं के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा सिद्ध पाई गई परिस्थितियों पर विचार करते हैं। यद्यपि पीडब्लू- संख्या-4 शिवनाथ राठिया ने कहा है कि घटना से 15-20 दिन पहले मृतक मनोहर राठिया का अपीलकर्ता माधव यादव से विवाद हुआ था, जो अवैध शराब के धंधे में संलिप्त था और उसके पिता/मृतक मनोहर राठिया से 300-400 रुपये लेता था, लेकिन वह/अपीलकर्ता माधव यादव उसे पैसे नहीं लौटा पाया और जब उसके पिता/मृतक मनोहर ने अपने पैसे वापस मांगे, तो उसने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसके विपरीत, जिरह में उसने स्वीकार किया कि वह नहीं जानता कि उसके पिता/मृतक मनोहर की हत्या किसने की और उसने अपीलकर्ता माधव को मृतक मनोहर पर हमला करते नहीं देखा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि घटना के 15-20 दिन पूर्व झगड़ा हुआ था, लेकिन उक्त घटना मामूली थी और उन्होंने मृतक मनोहर राठिया के साथ हुए विवाद के संबंध में पुलिस थाने या पंचायत में कोई परिवाद दर्ज नहीं कराई थी। इसके अतिरिक्त, अभियोग-5 रामलाल यादव ने यह भी कहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके भाई/मृतक श्यामलाल और मृतक मनोहर की हत्या कर दी है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि घटना दिनांक को उन्होंने यह नहीं देखा था कि उनका भाई/मृतक श्यामलाल किस समय और किसके साथ गया था। इसी प्रकार, अभियोगी-6 निर्मल यादव ने भी स्वीकार किया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मृतकों की हत्या की है और अपीलकर्ताओं और मृतकों के बीच कोई विवाद नहीं था। इसके अतिरिक्त, पीडब्लू-7 अनिल राठिया ने भी कहा है कि उन्होंने केवल संदेह के आधार पर अपीलकर्ता माधव का नाम लिया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि घटना के दिन उन्हें यह नहीं पता था कि मृतक कारीछापर क्यों गए थे या वे किससे मिलने वाले थे। इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने कारण स्थापित करने के लिए अपीलकर्ता-माधव और मृतक-मनोहर के बीच हुए पिछले झगड़े पर भरोसा किया है। हालाँकि, इस तरह के झगड़े की घटना या प्रकृति को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय गवाह सामने नहीं आया है। बिना किसी साक्ष्य के केवल दावे ही कारण का प्रमाण नहीं बनते हैं और दुश्मनी या किसी मजबूत उद्देश्य को प्रदर्शित करने वाले विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में, इस कथित पूर्व झगड़े को अपराध की ओर इशारा करने वाली एक ठोस परिस्थिति नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं की ओर से अपराध का उद्देश्य निचली अदालत द्वारा सही रूप से सिद्ध नहीं माना गया है।

13. अगली परिस्थिति जो यहां अपीलकर्ताओं के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा सिद्ध पाई गई है, वह है अभियुक्तों से उनके ज्ञापन बयानों (क्रमशः एक्स.पी/19 और 20) के अनुसरण में क्रमशः एक्स.पी-21 से 24 के अनुसार कुछ वस्तुओं अर्थात् टी-शर्ट, कुल्हाड़ी, चप्पल और साइकिल की बरामदगी। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, जब्त की गई वस्तुओं अर्थात् "ए, सी, जी, एन 2, ओ, क्यू और आर" पर मानव रक्त पाया गया है, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि जब्त की गई वस्तुओं पर पाया गया उक्त रक्त समूह मृत व्यक्तियों के समान है। इसलिए, केवल कपड़े, हथियार, साइकिल, चप्पल और टॉर्च जैसी वस्तुओं की बरामदगी, बिना किसी पुष्टिकरण के जो उन्हें अपराध या मृतक से सीधे जोड़ती हो, अपराध स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है। ज्ञापन और बरामदगी के साक्षियों, अर्थात् अभियोक्ता-11 राम सिंह चौहान और अभियोक्ता-13 मिनकेतन मालाकार ने केवल बरामदगी के तथ्य को साबित किया है,



लेकिन बरामद वस्तुओं को कानूनी रूप से निर्णायक तरीके से वास्तविक अपराध से नहीं जोड़ा है। इसके अतिरिक्त, एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के दावे का समर्थन नहीं करती है। इन बरामदगी के माध्यम से अपीलकर्ताओं को अपराध स्थल या मृतक व्यक्तियों से जोड़ने वाला कोई निर्णायक फॉरेंसिक साक्ष्य नहीं है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2024) 3 एससीसी 481 के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया:-----

"इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष के मामले में कुछ हद तक सहायक होने वाली एकमात्र परिस्थिति वर्तमान अपीलकर्ता के कहने पर खंजर की बरामदगी है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, उक्त बरामदगी भी एक खुले स्थान से हुई है जहाँ सभी पहुँच सकते हैं। किसी भी स्थिति में, खंजर पर पाया गया रक्त मृतक के रक्त समूह से मेल नहीं खाता है। मुस्तकीम बनाम राजस्थान राज्य मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि रक्तंजित हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती, जब तक कि वह अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या से संबंधित न हो। इस प्रकार, हम पाते हैं कि केवल रक्तंजित हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के अपने दायित्व का निर्वहन किया है।"

15. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ठाकोर उमेदसिंह नाथूसिंग बनाम गुजरात राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 320 के मामले में बरामदगी और खून के धब्बों पर विचार किया है जो मृतक के नहीं पाए गए और संबंधित कंडिका इस प्रकार है:---

"35. हमने बरामदगी से जुड़े संबंधित पुलिस अधिकारियों के साक्ष्यों का अध्ययन किया है और उनकी गवाही को अत्यधिक संदिग्ध पाया है। ए 3 की निशानदेही पर बरामद किया गया चाकू एक नाले से मिला था जो सभी के लिए खुला और सुलभ स्थान है। ए 4 को दिया गया चाकू कांजी छारा की पत्नी शोभनाबेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसलिए इसे ए 4 से नहीं जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार, इन बरामदगी को किसी भी तरह से अपराध सिद्ध करने वाला नहीं माना जा सकता है। मुस्तकीम उर्फ सिराजुद्दीन बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, (2011) 11 एससीसी 724 में रिपोर्ट किया गया, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि खून से सने हथियारों की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति ऐसा साक्ष्य नहीं बन सकती जिसे हत्या के आरोप में किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि वसूली अत्यधिक संदिग्ध और दूषित है। यदि एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि ऐसी बरामदगी हुई थी, तो भी इससे मृतक के रक्त समूह के समान रक्त समूह की उपस्थिति स्थापित करने वाली सीरोलॉजिकल रिपोर्ट के रूप में कोई निर्णायक परिस्थिति सामने नहीं आई और इसलिए वे अभियोजन पक्ष के कारण को आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष मुद्दमल वस्तुओं के सुरक्षित रखे जाने के तथ्य को स्थापित



करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक लिंक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा और इसलिए, बरामदगी असंगत हो गई।”

16. देबप्रिया पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2017)11 एससीसी 31 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवादक पर निर्णय दिया है कि यदि रक्त के धब्बे पाए गए थे, तो भी अभियुक्त या मृतक का रक्त समूह ज्ञात नहीं हुआ था। संबंधित सुसंगत कंडिका इस प्रकार है:---

“तर्क के लिए, हम यह मानकर चल रहे हैं कि वे उस समय मौजूद थे जब अपीलकर्ता अपने घर से खून से सने कपड़े लाया और पुलिस को दिए। यहाँ अपीलकर्ता के दोषसिद्धि के लिए इन खून से सने कपड़ों पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इन खून से सने कपड़ों पर लगा रक्त समूह उस चादर पर लगे खून से मेल खाता था जिस पर एक मृतक का शव मिला था। अभिलेखों से पता चलता है कि यद्यपि दोनों मृतकों का रक्त परीक्षण के लिए भेजा गया था, फिर भी यह ज्ञात नहीं है कि उस पर क्या रिपोर्ट दी गई और मृतकों का रक्त समूह क्या था। ऐसी कोई रक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। यहाँ तक कि, अभियुक्तों का रक्त समूह भी ज्ञात नहीं किया गया। यदि हम यह मान भी लें कि चादर पर लगा रक्त मृतक का था, तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि वह रक्त समूह अपीलकर्ता-अभियुक्त के रक्त समूह के समान हो। इसलिए, खून से सने कपड़ों पर रक्त समूह का मिलान मात्र से, जो कि बिस्तर की चादर पर भी था, यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि यह अपीलकर्ता ही है जिसने अपराध किया है।”

17. शांताबाई एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) 16 एससीसी 354 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:---

“25. पाँचवीं परिस्थिति के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने डॉ. हनुमंत से पूछताछ की, जिन्होंने 15-8-1993 को मृतक गुणवंत के शव का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर ने मृतक के शरीर पर तेरह चोटों के निशान देखे, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट (विस्तार 41) में वर्णित है। डॉक्टर की राय के अनुसार, मृत्यु का कारण मस्तिष्क में चोट और मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण हृदय-श्वसन विफलता के कारण सदमे के कारण हुआ था। रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट से पता चलेगा कि मृतक के विसरा में एथिल अल्कोहल पाया गया था।

26. हम यह इंगित कर सकते हैं कि अन्वेषण अधिकारी ने वस्तुओं की जब्ती के समय, कथित अपराध के हथियार, पत्थरों और कुल्हाड़ी पर मौजूद उंगलियों के निशान एकत्र करने की परवाह नहीं की, न ही उन्होंने कथित अपराध के हथियारों पर पाए गए उंगलियों के निशानों, यदि कोई हों, के साथ तुलना करने के लिए अपीलकर्ताओं के उंगलियों के निशान लिए। अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल से एकत्र की गई वस्तुएं खुले स्थान पर पड़ी हुई पाई गईं, जहाँ सभी की पहुँच थी। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि कुल्हाड़ी, जो कथित अपराध का हथियार था, खुले स्थान पर मौके पर पाई गई, ए-1, ए-2 और ए-3 की थी। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे यह साबित नहीं किया है कि ए-1, ए-2 और ए-3 ने अपराध के लिए बरामद हथियारों का इस्तेमाल किया था।



28. रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट (विस्तार 72) से पता चलता है कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए कपड़ों पर समूह 'बी' का मानव रक्त पाया गया था, जो कथित तौर पर अपीलकर्ताओं के थे। उन कपड़ों पर मौजूद रक्त समूह मृतक के कपड़ों और जांच अधिकारी द्वारा मौके से लिए गए मिट्टी, कुल्हाड़ी, पत्थर, हैंडल आदि के नमूनों पर पाए गए समूह 'ओ' के रक्त से मेल नहीं खाता था। अन्वेषण अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह ए-1 और पंच गवाहों के साथ अपीलकर्ताओं के कपड़ों की तलाश में गए थे, तो अपीलकर्ताओं के घर के दरवाजे का ताला पुलिस पाटिल के पास रखा था, जिसे बाद में उन्होंने खोला था। इस मामले के दृष्टिकोण से, अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि कपड़े, जिन्हें कथित तौर पर ए-1 के कहने पर पुलिस ने जब्त किया था और खुले स्थान पर पड़े थे, मृतक के रक्त समूह 'ओ' से सने हुए थे, जो मृतक के कपड़ों और घटनास्थल से अन्वेषण अधिकारी द्वारा जब्त की गई वस्तुओं पर पाया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा ए-1, ए-2 और ए-3 को अपराध का दोषी ठहराने के लिए ठोस, संतोषजनक और ठोस सबूत पेश करने के बावजूद ये परिस्थितियां साबित नहीं हो पाई।"

18. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धनंजयशंकर शेटी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 6 एससीसी 596 के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है: --

"9. अपीलकर्ता के खिलाफ एक और परिस्थिति यह बताई गई थी कि उसके घर से खून से सने कपड़े और हथियार बरामद किए गए थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ हाई कोर्ट ने इस परिस्थिति पर कोई भरोसा नहीं किया क्योंकि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, उस पर पाया गया रक्त समूह मृतक के रक्त समूह से मेल नहीं खाता था।"

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने रक्त से सने कपड़े और कथित रूप से अपीलकर्ताओं की निशानदेही पर बरामद की गई एक रक्त से सनी कुल्हाड़ी प्रस्तुत की है, फिर भी यह स्थापित करने के लिए फोरेंसिक साक्ष्य का पूर्ण अभाव है कि इन वस्तुओं पर पाया गया रक्त मृतक व्यक्तियों के रक्त समूह से मेल खाता है। इस तरह के संबंध को स्थापित करने के लिए कोई सीरोलॉजिकल या डीएनए रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं लाई गई है। केवल रक्त के धब्बों की उपस्थिति, बिना इस बात के प्रमाण के कि यह मृतक का मानव रक्त है, बरामदगी को महत्वहीन बना देती है।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी विफलता कथित बरामदगी के साक्ष्य मूल्य को भौतिक रूप से प्रभावित करती है।

कंसा बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, (1987) 3 एससीसी 480 में, न्यायालय ने कहा: "जब तक कपड़ों या हथियारों पर पाए गए खून के धब्बे मृतक के होने का प्रमाण नहीं मिल जाता, तब तक इस खोज को अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे दोषी नहीं कहा जा सकता है।"



21. इसी प्रकार, सत्तातिया @ सतीश राजन्ना करतल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008) 3 एससीसी 210 में, यह देखा गया था: "सीरोलॉजिकल रिपोर्ट के अभाव में, जो यह पुष्टि करती हो कि कपड़ों या हथियार पर लगा खून मृतक का था, अभियोजन पक्ष के लिए बरामदगी से कोई ठोस मदद नहीं मिलती है।"

22. पुनः, विजय शंकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2022) 10 एससीसी 353 में, सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया: "अभियोजन पक्ष द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्यों के माध्यम से यह स्थापित करने में विफलता कि हथियार या कपड़ों पर पाया गया खून मृतक के खून से मेल खाता है, बरामदगी की सत्यता और अभियुक्त के अपराध के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है।"

23. इन प्रामाणिक घोषणाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना वैज्ञानिक पुष्टि के, केवल रक्त-रंजित वस्तुओं की बरामदगी, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है, खासकर जब मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो। आपराधिक न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की श्रृंखला को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों के साथ स्थापित करना चाहिए, खासकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में। 24. यहाँ यह ध्यान रखना लाभदायक होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1 के मामले में निम्नलिखित पाँच स्वर्णिम सिद्धांत निर्धारित किए थे, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के प्रमाण के 'पंचशील' का गठन करते हैं और ये सिद्धांत इस प्रकार हैं:

"153.....

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि संबंधित परिस्थितियाँ 'अवश्य या होनी चाहिए', न कि 'स्थापित की जा सकती हैं'। सिद्ध किया जा सकता है' और 'सिद्ध किया जाना चाहिए या सिद्ध किया जा सकता है' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबड़े एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एससीसी 793 में माना था, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थीं: "निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी ठहराने से पहले उसे दोषी होना ही चाहिए, न कि केवल दोषी हो सकता है, और 'सिद्ध किया जा सकता है' और 'सिद्ध किया जाना चाहिए' के बीच मानसिक दूरी बहुत लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।"

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्। अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और



(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे तथा यह दर्शाया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यता में कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।”

25. वर्तमान मामले में, यद्यपि अपीलकर्ताओं के ज्ञापन कथनों के अनुसरण में कुछ वस्तुएँ ज़ब्त की गई थीं, परन्तु यह सिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि इन वस्तुओं का उपयोग अपराध करने में किया गया था या उन्हें अंतिम बार मृतक व्यक्तियों या अपीलकर्ताओं के कब्जे में इस प्रकार देखा गया था जिससे अपीलकर्ताओं का अपराध से सीधा संबंध स्थापित हो सके और यह सिद्ध करने के लिए कोई विश्वसनीय फॉरेंसिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि ज़ब्त की गई वस्तुओं पर लगा खून मृतक का था। अभियोजन पक्ष ज़ब्त की गई वस्तुओं की कथित अपराध से सुसंगतता या संबंध सिद्ध करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा है। इसलिए, ज़बती एक पृथक परिस्थिति बनी हुई है, जो उचित संदेह से परे अपीलकर्ताओं के अपराध को स्थापित करने में असमर्थ है। 26. आपराधिक कानून का यह भी एक स्थापित सिद्धांत है कि संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत का विकल्प नहीं बन सकता है। अभियोजन पक्ष का पूरा मामला कमजोर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, और अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की श्रृंखला भी स्थापित नहीं की गई है।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुजीत बिस्वासबनाम असम राज्य एआईआर 2013 एससी 3817 में आगे कहा है कि संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता और केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्धि स्वीकार्य नहीं है। यह कंडिका 6 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :---

"6. संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता, तथा जो बात "साबित हो सकती है" और जो "साबित हो जाएगी" के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। आपराधिक विचारण में, संदेह चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, उसे प्रमाण का स्थान लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही दी जानी चाहिए ऐसा इसलिए है क्योंकि "हो सकता है" और "होना चाहिए" के बीच मानसिक दूरी बहुत अधिक होती है और यह अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है। किसी दाण्डिक प्रकरण में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मात्र अनुमान या संदेह कानूनी प्रमाण का स्थान न ले लें। किसी अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने से पहले, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्य के माध्यम से "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच के बड़े अंतर को स्पष्ट किया जाना चाहिए, और इस बुनियादी और सुनहरे नियम को लागू किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को केवल अनुमानों और निष्पक्ष न्यायिक जाँच की कसौटी पर, मामले की सभी विशेषताओं के पूर्ण और व्यापक मूल्यांकन के साथ-साथ रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर, निश्चित निष्कर्षों पर पहुँचने के बीच महत्वपूर्ण दूरी बनाए रखनी चाहिए। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय की त्रुटि न हो, और यदि मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ ऐसी मांग करती हैं, तो अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए,



यह ध्यान में रखते हुए कि उचित संदेह कोई काल्पनिक, तुच्छ या केवल संभावित संदेह नहीं है, बल्कि एक उचित संदेह है जो तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। (हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम स्टेट ऑफ एमपी, (1952) 2 एससीसी 71, स्टेट बनाम महेंद्र सिंह दहिया (2011) 3 एससीसी 109 और रमेश हरिजन बनाम स्टेट ऑफ यूपी (2012) 5 एससीसी 777।)"

28. उपरोक्त उदाहरणों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि और मामले के तथ्यों को देखते हुए, बरामद वस्तुओं और मृतक व्यक्तियों के बीच फॉरेंसिक संबंध स्थापित करने में विफलता अभियोजन पक्ष के मामले को घातक रूप से कमजोर करती है। केवल अपुष्ट बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। विश्वसनीय और भरोसेमंद सबूतों के बिना अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में विचारण न्यायालय ने गलती की है। परिस्थितियों की श्रृंखला टूटी हुई और अधूरी है, इसलिए अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

29. तदनुसार, अपीलकर्ता- माधव यादव और अजय यादव द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया जाता है, और सत्र विचारण संख्या 93/2018 में 5 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित दिनांक 05.09.2019 के निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 (दो बार) के तहत आरोप से बरी किया जाता है और उन्हें तत्काल रिहा किया जाएगा, जब तक कि किसी अन्य मामले में वांछित न हों।

30. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-ए के अनुपालन में, अपीलकर्ताओं को संबंधित न्यायालय के समक्ष ₹25,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। यह बंधपत्र छह महीने के लिए प्रभावी होगा और इसमें यह वचन शामिल होगा कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्रदान करने की स्थिति में, अपीलकर्ता नोटिस प्राप्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

31. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रति तत्काल विचारण न्यायालय को सूचना एवं आवश्यक अनुपालन के लिए प्रेषित करे।

सही / - (रजनी दुबे) न्यायाधीश	सही / - (अमितेंद्र किशोर प्रसाद) न्यायाधीश
-------------------------------------	--



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य



प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक
प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

